कलाबाई बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र – 12/2017
निर्णय दिनांक :21.07.2023

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–12/2017

दर्ज तिथिः–08.02.2017

GCMS N. -2017/00023

1. श्रीमती कलाबाई पत्नि गोपाल लाल जाति धाकड़ उम्र 45 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

................प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा राज0
2. श्री मदनलाल पिता श्री नानालाल जी जाति धाकड़ उम्र 40 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0
3. श्रीमती मोहनीबाई पुत्री श्री नानालाल जी जाति धाकड़ उम्र 45 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0
4. श्री बाबूलाल पिता श्री भैरूलाल जी जाति धाकड़ उम्र 40 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ राज0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थी अधिवक्ताः – श्री आसाराम प्रजापत
अप्रार्थी अधिवक्ता–01 पेरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि : 21.07.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा सरसी पटवार हल्का सरसी तहसील, निम्बाहेड़ा में मूल खातेदार मदनलाल व मोहनीबाई पत्नि नानालाल जी धाकड़ निवासी सरसी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात जिसके पुराने आराजी नम्बर 232 रकबा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 233 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 246 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 247 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा में से प्रार्थिया ने [illegible] आराजी नम्बर 232 रकबा 07 बिस्वा आराजी नम्बर 233 में से 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 246 में से 13 बिस्वा आराजी नम्बर 247 में से 1 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा आराजियात खरीदी व वक्त खरीद से आराजियात पर प्रार्थिया का कब्जा चला आ रहा है व क्रय की गई आराजियात प्रार्थिया के खातेदारी में दर्ज की गई जो आराजी नम्बर 232 रकबा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 233/3 रकबा 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 2462/2 रकबा 13 बिस्वा व आराजी नम्बर 247/2 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा दर्ज की गई। नकल इन्तकाल दिनांक 20.02.2006 साथ पेश है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:26 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

वर्तमान में जो सेटलमेन्ट हुआ है वह सेटलमेन्ट होने के बाद पुराने आराजी नम्बर 232 रकबा 07 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 305 रकबा 0.08 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 233 रकबा 17 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 306 रकबा 0.18 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 246 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 320 रकबा 0.49 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 247 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 321 रकबा 0.52 हैक्टेयर दर्ज हुए है। जब प्रार्थिया ने आराजीयात आराजी नम्बर 246 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा में से 13 बिस्वा आराजियात खरीदी जिसके पुराने नम्बर 246/2 वादीया/प्रार्थिया के खातेदारी में दर्ज की गई व इसी प्रकार आराजी नम्बर 247 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा में से 01 बीघा 02 बिस्वा आराजियात खरीदी जिसके पुराने आराजी नम्बर 247/2 वादीया के खातेदारी में दर्ज की गई, किन्तु जब सेटलमेन्ट हुआ तब पुराने आराजी नम्बर 246/2 रकबा 13 बिस्वा वादीया के खातेदारी में दर्ज नहीं किया गया, ना ही आराजी नम्बर 246/2 राजस्व रेकार्ड में कही पर भी नया आराजी नम्बर दर्ज नही किया गया जिससे मौके पर जहाँ पर प्रार्थीया का कब्जा है व पुराने आराजी नम्बर 246/2 रकबा 13 बिस्वा वादीया के खातेदारी में नये आराजी नम्बर 320 रकबा 0.49 हैक्टेयर में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 247 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके नये आराजी नम्बर 321 रकबा 0.52 हैक्टेयर है में भी जो पुराने आराजी नम्बर 247/2 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा वादीया के खातेदारी में दर्ज किये गये किन्तु पुनः उक्त आराजियात मूल आराजी नम्बर 247 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 321 रकबा 0.52 हैक्टेयर मूल रुप से दर्ज कर दी गई है, जबकि उक्त आराजियात में प्रार्थिया का कब्जा है व प्रार्थिया का ही हक हिस्सा निहित है तथा यह आराजियात मूल खातेदार मदनलाल व मोहनीबाई विपक्षी नम्बर 2 व 3 के नाम पुनः दर्ज कर दी गई है जो सहवन से टेक्नीकल मिस्टेक के कारण दर्ज हुई है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, वकील प्रार्थी/अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थिया की क्रय की गई भूमि जो वक्त सेटलमेन्ट सहवन से पुनः विक्रेता के नाम पर दर्ज हो गई उसे पुनः प्रार्थिया के नाम दर्ज रिकार्ड करने की अनुशंषा की है।

3. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता एवं विपक्षी नम्बर 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली में संलग्न विक्रय पत्र की फोटोप्रति अनुसार प्रार्थिया ने विक्रेता श्री मदनलाल, मोहनीबाई पिता नानालाल धाकड़ निवासी सरसी से साबिक आराजी नम्बर 232 रकबा 7 बिस्वा सम्पूर्ण, आराजी नम्बर 233 रकबा 17 बिस्वा में से 1 बिस्वा, आराजी नम्बर 246 रकबा 2—05 बीघा में से 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 247 रकबा [illegible] बीघा इस प्रकार कुल 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय की थी। उक्त क्रय की ग[illegible] सरसी की साबिक नामान्तरण संख्या 1191 दिनांक 20.02.20[illegible] गोपाललाल धाकड़ निवासी सरसी के नाम दर्ज [illegible] की गई। उ[illegible] साबिक आराजी नम्बर के मिलान क्षेत्रफल अनुसार निम्नानुसार [illegible] एवं नवीन आराजी नम्बरों में प्रार्थिया के नाम दर्ज होने वाली भूमि का विवरण [illegible]नुसार है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

क्र. सं.	साबिक आराजी नम्बर	रकबा बीघा में	प्रार्थिया द्वारा क्रय की गई भूमि का रकबा बीघा में	नवीन आराजी नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	प्रार्थिया द्वारा क्रय की गई भूमि अनुसार रकबा जो प्रार्थिया के नाम दर्ज होना चाहिए
1	232	0–07	0–07	305	0.08	0.08
2	233	0–17	0–01	306	0.18	0.01
3	246	2–05	0–13	320	0.49	0.15
4	247	2–08	1–02	321	0.52	0.23

किन्तु वक्त सेटलमेन्ट उपरोक्त नवीन आराजियात में से केवल नवीन आराजी नम्बर 320 कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर भूमि में हिस्सा 15/49 हैक्टेयर भूमि ही प्रार्थिया के नाम दर्ज रिकार्ड हुई शेष नवीन आराजी नम्बर 305 रकबा 0.08, आराजी नम्बर 306 रकबा 0.18 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 321 रकबा 0.52 हैक्टेयर में प्रार्थिया द्वारा क्रय की गई भूमि हिस्सा अनुसार दर्ज नहीं कर इन आराजियात में प्रार्थिया का नाम सहवन से विलोपित कर दिया गया एवं उक्त आराजियात पुनः विक्रेता श्री मदनलाल मोहनीबाई पिता नानालाल के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई जो ग्राम सरसी की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 275 में दर्ज रिकार्ड है।

तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे अंकित किया गया कि प्रार्थिया का ग्राम सरसी की नवीन आराजी नम्बर 305 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 306 रकबा 0.18 में से रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 320 कुल रकबा 0.49 हैक्टेयर में से 0.15 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 321 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर में से 0.23 हैक्टेयर भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 0.47 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थिया के नाम पर आराजी नम्बर 320 में से 0.15 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड है, जबकि प्रार्थिया द्वारा जरिये विक्रय पत्र क्रमांक 175 संख्या 2005002886 दिनांक 28.12.2005 में पुराने साबिक आराजी नम्बर 232, 233, 246 एवं 247 में से कुल 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि क्रय किया जाना पाया। इस 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि का नामान्तरण संख्या 1191 दिनांक 20.02.2006 दायर किया जाकर स्वीकृत हुआ है। वर्तमान में प्रार्थिया मुताबिक रजिस्ट्री विक्रय पत्र अनुसार क्रय शुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। वर्तमान में इन आराजियात का भू–प्रबन्ध होने से उक्त आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 305, 306, 320 एवं 321 बने। प्रार्थिया इन पर उक्तानुसार वर्णित रकबा अनुसार काबिज है। भू–प्रबन्ध के दौरान सहवन से आराजी नम्बर 320 में से रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि के अलावा शेष तीन आराजी नम्बर 306 में से रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 305 रकबा 0.08 हैक्टेयर सम्पूर्ण व आराजी नम्बर 321 में से रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि विक्रेता मूल खातेदार श्री मदनलाल, मोहनीबाई पिता नानालाल धाकड सा. देह के नाम ही दर्ज रह गई। प्रार्थिया का विक्रय पत्र नामान्तरण संख्या 1191 एवं मौका अनुसार उपरोक्तानुसार भूमि प्रार्थिया के नाम दर्ज किया जाना उचित है एवं जांच रिपोर्ट के अन्त में तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने प्रार्थिया द्वारा क्रय की गई भूमि को प्रार्थिया के नाम पुनः दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य अनुसार ग्राम सरसी की आराजी नम्बर 306 में से 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 305 रकबा 0.08 हैक्टेयर सम्पूर्ण व आराजी नम्बर 321 में से रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिया के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:26 IST
Reason: SelfAttested

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

136. Correction of errors. *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties*

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पूर्व रिकार्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम सरसी पटवार हल्का सरसी की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 275 में दर्ज आराजी नम्बर 305 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर सम्पूर्ण, आराजी नम्बर 306 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 321 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर में से रकबा रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि विक्रेता मदनलाल, मोहनीबाई पिता नानालाल धाकड के बजाय प्रार्थिया श्रीमती कलाबाई पत्नि गोपाललाल धाकड के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:26 IST
Reason: SelfAttested